Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Vehicle Scraping Policy.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी): महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस समय बजट में स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में घोषणा की थी । यह पॉलिसी हमारे देश के विकास की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है । उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में उन्होंने हमें अधिकार भी दिए थे । उस पॉलिसी की घोषणा मैं आपकी अनुमति से करना चाहता हूँ ।

महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं, जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं । वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन हैं, जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं । पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक हवा को प्रदूषित करते हैं और ये सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम हैं ।

महोदय, आपको पता ही होगा कि ये वाहन काला धुआँ छोड़ते हुए जाते हैं । इसके कारण उनका डीजल और पेट्रोल का एवरेज भी कम होता है, उसके कारण भी नुकसान होता है और पॉल्यूशन के कारण दिल्ली जैसे शहर में और पूरे देश में हमने किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया, यह भी आप सब लोग जानते हैं ।

स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय Voluntary Vehicle Fleet Modernisation Programme (V-VMP) अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरूआत कर रहा है । माननीय वित्त मंत्री जी ने जिसका उल्लेख अपने बजट भाषण में किया था । यहाँ एक ऐसी भिन्न-भिन्न पॉलिसी होगी, जिससे न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने

का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलियत भी मिलेगी ।

महोदय, हमारे देश में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का क्रूड ऑयल (पेट्रोल, डीजल) आयात होता है । इससे न केवल देश की आर्थिक परिस्थिति पर दबाव पड़ता है और पुराने वाहनों की पुरानी इमिशन टेक्नोलॉजी की वजह से अत्यधिक प्रदूषण भी होता है । यह जो बीएस-4 था, हमने सबने मिलकर उसे बीएस-6 किया है और जिसके कारण काफी बड़े प्रमाण में पर्यावरण की समस्या का सॉल्यूशन निकला है । यह जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, यह एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी, जिससे स्क्रैपिंग सेन्टर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को फायदा होगा ।

सर, पंजाब में एक ऐसी यूनिट शुरु है । वर्ल्ड में जो छोटे-छोटे देश हैं, उनको पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की सुविधा नहीं है । आदरणीय जहाज परिवहन के मंत्री यहाँ उपस्थित थे । जब मैं उसका मंत्री था तो हमने 18 मीटर का ड्रॉफ्ट किया है । दुनिया भर का दो लाख टन का यह पूरा ऑटोमोबाइल का वेस्टेज हमारे देश में आएगा, क्योंकि हम एल्युमिनियम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम कॉपर इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम कई बार प्लास्टिक इम्पोर्ट करते हैं । ये जो पूरी गाड़ियाँ भण्डार में आएंगी, इसको पूरी तरह से अलग-अलग करके यह रॉ मैटेरियल इससे बनेगा और इसके इंडस्ट्रियल कलस्टर एमएसएमई में हम बना रहे हैं । यह जो कांडला जैसी जगह है, जहाँ 18 मीटर का ड्रॉफ्ट है, तूतीकोरिन है, वहाँ पोर्ट के बगल में भी एक कलस्टर बनाने की योजना है । इससे हमारे ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट की कॉस्ट 40 टका कम होगी ।

महोदय, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आज का टर्न ओवर 4 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का है । हमारा उसमें एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट है । मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो टू व्हीलर की इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें हीरो, बजाज और टीवीएस है, ये तीनों भी अपना 50 टके से ज्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही हैं । स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण प्लास्टिक, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील और रबड़ ये री-साइकिलिंग होने के कारण कॉस्ट

कम्पोनेंट सस्ती होगी एवं हम और कम्पीटेटिव बनेंगे । उसके कारण हमने साढ़े चार लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज़ को पाँच साल में दस लाख करोड़ की बनाने की योजना बनाई है । मुझे बहुत खुशी है कि एक तरफ हम जैसे स्क्रैपिंग मटेरियल दे रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं, वैसे हमने एथेनॉल, मेथनॉल, बायो-डीजल, बायो-सीएनजी इलैक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी हमने सेलेक्ट किया है । माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं उनके साथ कार्यक्रम में गया था, उन्होंने भी इलैक्ट्रिक वाहनों को बहुत एनकरेज किया है ।

सर, यह जो लिथियम आयन बैटरी होती है, इसके लिए भी हमारे विभाग ने, हमारे ट्रांसपोर्ट में वह आता है, इसमें भारत सरकार की सभी संस्थाओं इसरो, डीआरडीओ, सभी लैबोरेटरीज़ और सभी साइंटिस्ट्स को बुलाया था । लिथियम आयन बैटरी 81 परसेंट हिन्दुस्तान में बन रही है । मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ बताता हूं कि, कोई चर्चा करते हैं कि लिथियम आयन का स्टॉक किसी और देश ने ले लिया है, वर्ल्ड में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले समय में एक साल के अंदर 100 परसेंट लिथियम आयन बैटरी मेक-इन-इंडिया और मेड-इन-इंडिया होगी । दो साल के अंदर मैं अनुमान और विश्वास के साथ बता रहा हूं कि पेट्रोल व्हीकल के टू व्हीलर, फोर व्हीलर और डीजल की बस की कीमत, आज इलैक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, दो साल के अंदर पेट्रोल और डीजल के टू व्हीलर, फोर व्हीलर और बस ये इक्विवेलेंट टू इलैक्ट्रिकल व्हीकल की कीमत उतनी होगी और फ्यूल का खर्चा दस गुना कम हो जाएगा । मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी इलैक्ट्रिक कार यूज कर रहे हैं, मैंने अपनी कॉन्स्टीट्यूएंसी में बुलेटप्रूफ कार छोड़ दी, मैं भी इलैक्ट्रिक कार यूज कर रहा हूं, तो आप सब लोग भी धीरे-धीरे बायो-फ्यूल और इलैक्ट्रिक पर जाइये । देश का आयात कम करना है, प्रदूषण को कम करना है । यह स्क्रैपिंग पॉलिसी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी और उसका फायदा होगा । गाड़ियों की स्क्रैपिंग की वजह से स्क्रैप मटेरियल जो तैयार होगा, उससे काफी वैल्यू एडिशन भी होगा । स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए हमने एक एडवाइजरी इश्यू की है कि जो अपने व्हीकल ट्रक या बस को स्क्रैप करेगा, तो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जाने के बाद मैंने देश के सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को

आह्वान किया है और उनको एडवाइजरी भेजी है, मैं मेनडेटरी नहीं कर सकता, उनको आह्वान किया है कि आप पांच परसेंट सहूलियत दो, जो सर्टिफिकेट लेकर आएगा । आप समझो कि आपकी कार दस लाख रुपये की है, तो पचास हजार रुपये का इंसेंटिव वह देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । निश्चित रूप से आपको नई गाड़ी खरीदने से पेट्रोल, डीजल की तुलना में आपका एवरेज दो गुना, तीन गुना बढ़ जाएगा, प्रदूषण चला जाएगा और ऊपर से आपको इसका फायदा होगा । निश्चित रूप से यह काफी लोगों के लिए उपयोगी होगा । इसमें रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट दी है, इससे लोग नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स बढ़ेगी । राज्य सरकार और भारत सरकार का जीएसटी बढ़ेगा, क्योंकि 10 से 15 परसेंट नए व्हीकल्स खरीदे जाएंगे तो राज्य सरकारों को भी जीएसटी का फायदा होगा और भारत सरकार को भी फायदा होगा । ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा । यह देश की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है और हिन्दुस्तान पाँच साल के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अभी सभी देश, वर्ल्ड के ब्रांड, अभी टेस्ला भी आ रहा है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू से लेकर दुनिया के सब ब्रांड हिन्दुस्तान में हैं और पाँच साल के अंदर हिन्दुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नम्बर 1 हब बनेगा । इस पॉलिसी से इसको बहुत ताकत मिलेगी । इसमें टर्न ओवर 7.2 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है । इंडस्ट्री ने इस साल लगभग 15 लाख करोड़ का जीएसटी भरा है । स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी । स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स की वजह से 10 हजार करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा । मैं आप सब सांसदों को आह्वान करता हूं कि हमारे देश में पीपीपी मोड में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिटनेस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले इंस्टीट्यूट्स हमको खोलने हैं । हम भारत सरकार से उसके लिए अनुदान दे रहे हैं । आप यह ड्राइविंग स्कूल और दोनों को एक करके विशेष रूप से आपके जो बैकवर्ड क्षेत्र हैं, देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है ।

लोगों को रोजगार चाहिए तो आपके क्षेत्र में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, फिटनेस सेंटर्स और पॉल्युशन चैकिंग सेंटर्स आप लोग खोलिए । भारत सरकार से इसके लिए हम अनुदान भी देंगे । बैंक भी आपको इसके लिए लोन देने को तैयार हैं । इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और अलाइड सर्विस सेक्टर्स और आर एंड डी क्षेत्र में भी इससे लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा । स्क्रैप मेटेरियल से ऐसे एलिमेंट्स भी प्राप्त होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हिकल्स में बैट्री रिसर्च पर काम हो रहा है । उसमें एनडीएफईबी मेग्नेट पुरानी गाड़ी से निकलता है जो एक रेयर अर्थ एलीमेंट न्युडोयम्यिम से मिलता है और यह काफी महत्वपूर्ण मेग्नेट है जो ईवी में लगता है । उसी को निकालकर और प्रोसैस करके ईवी में लगाया जाएगा । इससे कॉस्ट कम होगी और फायदा भी होगा । यह मेग्नेट केवल इम्पोर्ट होता है । यह हमारे देश में नहीं होता है । यह हमारे देश में तैयार होगा निमिस स्क्रैपिंग अगर की जाए तो उससे न्युडोयम्यिम भी प्राप्त होगा, जिससे ये मेग्नेट भारत में बन सकेंगे । लिथियम, एल्युमिनियम, सोडियम और जिंक, जैसे लिथियम आयन बैट्री है तो सोडियम आयन, एल्युमिनियम आयन, स्टील आयन और जिंक आयन पर हमारे देश में रिसर्च हो रही है । दो-चार साल लिथियम आयन बैट्री बनाएंगे और उसके बाद एम्प्ल लेवल पर है और हमारा देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहा है कि हमारे पास निश्चित रूप से वर्ल्ड लीडरशिप आएगी । नये वाहन में पुराने वाहन के मुकाबले मैंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होती है और पॉल्युशन भी कम होता है । सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि तुम्हारी पुरानी गाड़ी स्क्रैप होगी तो तुम्हारा नुकसान होगा, गरीब का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है । इससे निश्चित से फ्यूल एफिशिएंसी में फायदा होगा । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब मुम्बई-पुणे हाईवे नहीं बना था तो नौ घंटे लगते थे । मैं उस समय महाराष्ट्र में मंत्री था । जब यह हाईवे बन गया तो लोगों को टोल देना पड़ता था । लोग नाराज हो गए तो मैंने उनसे कहा कि नौ घंटे की बजाय आप पौने दो घंटे में पहुंच जाते हैं । नौ घंटे की बजाय दो घंटे गाड़ी चलती है तो फ्यूल कम लगता है । नई गाड़ी की एवरेज ज्यादा होती है, जबकि पुरानी गाड़ी की एवरेज उससे आधे से भी कम होती है और वह पॉल्युशन भी फैलाती है । इससे फ्यूल की बचत भी हो रही है । इससे जनता को परेशानी वाली कोई बात नहीं है । इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स के

इंटरेस्ट को देखते हुए हमने इसे शुरू किया है । इसका नोटिफिकेशन 30 दिनों की अवधि के लिए पब्लिक डोमेन में रहेगा । स्क्रैप में क्राइटेरिया मुख्यत: वाहनों की फिटनेस और कमर्शियल वाहनों के मामलों में आटोमेटेड फिटनेस के माध्यम से जो केन्द्र होंगे, उनके बारे में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा । यह मापदंड जर्मनी, यूके और जापान जैसे देशों के स्टेंडर्ड के हिसाब से हमने बनाए हैं, वैश्विक मानकों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में । फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसमें रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ व्हिकल घोषित किया जाएगा । वाहनों की फिटनेस डिसाइड करने के लिए बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसका अध्ययन किया करके किया गया है । एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग, वन्य एवं पर्यावरण संरक्षा अधिनियम और केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल होने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा । धुआं छोड़ने वाले अनफिट व्हिकल्स को डीरजिस्टर किया जाएगा । इसके डिसइंसेंटिव्स के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए शुल्क बढ़ा हुआ है । फिटनेस परीक्षण कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष के लिए लागू होगा । यह प्रस्ताव है कि यदि निजी वाहनों को 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा । उसको जब्त करके डिस्ट्रोय किया जाएगा । उसे बढ़ावा देने से रोकने के उपाय के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ है । रीरजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष तक निजी वाहनों के लिए लागू होगा ।

यह पॉलिसी बहुत हित में है । आज इसकी घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है । आप इसमें जरूर सहयोग कीजिए और फिटनेस सेंटर्स, पॉल्युशन सेंटर्स, ड्राइविंग सेंटर्स की सरकारी योजना हर जिले में दो-दो, तीन-तीन हमें देनी है आप जरूर इसमें आगे आइए । हम इसमें सहयोग करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद । ...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 3948/17/21]

माननीय सभापति : इस पर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, न ही कोई चर्चा होती है । यह केवल स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्टर है । इसलिए आप लोग बैठ जाइए ।